उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 30.03.2023

पिटकुल हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 पर पारित टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु

- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (APR) एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के निर्धारण हेतु दिनांक 29 नवम्बर, 2022 को आयोग के समक्ष पीटिशन प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर सहीकरण (truing up) भी चाहा गया।
- **तद्नुसार आयोग द्वारा इस टैरिफ आदेश में निम्न अनुमोदन किये गये हैं :–**

  1. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सहीकरण (truing up)।
  2. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार का निर्धारण।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के सहीकरण (truing up) हेतु रू0 46.36 करोड़ की धनराशि का अन्तर (Gap) दर्शाया गया था, जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सहीकरण (truing up) हेतु कुल रू0 13.36 करोड़ का अधिशेष (Surplus) अनुमोदित किया गया है।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये प्रस्तावित वार्षिक पारेषण प्रभार तथा आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी प्रतिशत वृद्धि निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:–

तालिका : वार्षिक पारेषण प्रभार (ATC) (रू0 करोड़)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	
	टैरिफ आदेश में अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित
पिटकुल (ATC)	359.29	442.59	370.77
विगत वर्षों का सहीकरण का प्रभाव	-55.00	56.14	-16.54
कुल	304.29	498.73	354.23
गतवर्ष की तुलना में वृद्धि (%में)	-	63.90%	16.41%

- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये प्रस्तावित वार्षिक पारेषण प्रभार के अतिरिक्त रू0 244.43 करोड़ की प्रारम्भिक इक्विटी के लिए लाभांश (Return on Equity) एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए रू0 464.79 करोड़ की धनराशि उत्तराखण्ड शासन को पॉवर डेवलपमेन्ट फण्ड अंशदान के रूप में इक्विटी के तौर पर मांग की गयी थी। आयोग द्वारा इस हेतु कोई धनराशि अनुमोदित नहीं की गयी।

****